# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– कमला अलारिया (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या 24/19**

रामप्रताप पुत्र पोकर राम जाति रैगर निवासी वार्ड नम्बर 23/27, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

––प्रार्थी

**बनाम**

1. रामस्वरूप
2. रामप्रताप
3. शंकर लाल
4. ओम प्रकाश
5. सहीराम

पिसरान भागुराम जाति रैगर निवासी वार्ड नम्बर 18, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

6. पैरोकार राज, जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

––अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियमन 1970**

**उपस्थितिः–**

1. श्री परमिन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री अशोक कुमार छाबड़ा, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 5
3. श्री राजेश बेनिवाल, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 व 4
4. पैरोकार राज

निर्णय दिनांक –02.02.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी रामप्रताप ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पिता भागुराम पुत्र श्री पुरखा राम जाति रैगर निवासी सूरतगढ़ को 55 के पश्चात् आराजी काश्त पर रकबा कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नम्बर 555/279 में 10.120 हैक्टेयर बारानी भूमि मुताबिक पटवारी रिपोर्ट दिनांक 30.07.1960 बताई गई है। इस दिनांक को आवंटी भागुराम सरकारी सेवा में कार्यरत होने के कारण आवंटन का पात्र नहीं था और न ही उसने भूमि कभी काश्त की। बरवक्त आवंटन भागुराम भारतीय रेलवे में सरकारी नौकर था उसका पेशा काश्तकारी नहीं था। सरकारी सेवा में होते हुए भी तथ्यों को छुपाकर भूमि का आवंटन करवा लिया जो विधि विरूद्ध है। उक्त भूमि पर भागुराम का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। भागुराम ने अपनी सेवा काल के दौरान सन् 1993 में स्वेच्छिक सेवानिवृति लेकर अपने स्थान पर अपने पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 रामस्वरूप को नौकरी पर लगवा दिया जो भी सेवा से सेवानिवृत हो चुका है। आवंटी भागुराम के परिवार के अन्य सदस्य अप्रार्थी संख्या 2 व 3 उसके पुत्र है जो राजकीय सेवा में अध्यापक पद पर कार्यरत है जिनमें से अप्रार्थी संख्या 2 सेवानिवृत हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 भी भारतीय रेलवे में वर्तमान में कार्यरत है। अप्रार्थीगण के पिता भागुराम जो कि सरकारी सेवा में था तथ्यों को छुपाते हुए उक्त विवादित भूमि का आवंटन करवाया है। आरजी काश्त पर आवंटन होने के पश्चात् खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु आवंटी भागुराम के द्वारा दिनांक 21.02.2011 को प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा विन्दुवार जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया था जिसमें कार्यवाही चल रही थी। इसी बीच हल्का पटवारी ने दिनांक 28.11.2011 को रिपोर्ट की जिसके बिन्दु संख्या 7 में पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट की कि काश्तकारों द्वारा रकबा आगे बेचान किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा आवंटी के पेशा से सम्बन्धित रिपोर्ट देनी थी जो नहीं दी गई। इसी दौरान सन् 2015 में भागुराम की मृत्यु हो गई उसकी मृत्यु के बाद तहसीलदार सूरतगढ द्वारा दिनांक 21.11.2016 को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिया जो कि तथ्यों की जांच के बिना जारी किये गये हैं। आवंटी सरकारी सेवा में होने के कारण आरजी काश्त पर आवंटन करवाने का अधिकारी नहीं था। उसने तथ्यों को छुपाकर आवंटन करवाया एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की गई। इस प्रकार गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन करवाया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)



Scanned by CamScanner

गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक 26.06.2019 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड मंगवाने के आदेश दिये गये एवं अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब करने के आदेश दिये गये।

3. प्रार्थी रामप्रताप ने दिनांक 11.11.2021 को धारा 151 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर विवादित भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया।

4. अप्रार्थीगण ने दिनांक 27.01.2022 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि अप्रार्थीगण के पिता को अलॉट होना का तथ्य स्वीकार है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के पिता को सरकारी सेवा में होना बताया गया है, किन्तु इस बाबत् कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी ने शिकायत रंजिश वश व अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए पेश की गई है जिस समय विवादित भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण के पिता को आवंटन हुआ था उस समय अप्रार्थीगण का पिता सरकारी सेवा में नहीं था। सभी तथ्यों की जांच करने के पश्चात् ही आवंटन किया गया है। अप्रार्थीगण के पिता ने किसी भी तथ्य को नहीं छिपाया है। भागुराम को आरजी काश्त पर भूमि सलाहकार समिति की राय से आवंटन हुई थी जिस पर अप्रार्थीगण के पिता का जीवन काल में कब्जा रहा व मृत्यु के पश्चात् अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसकी पुष्टि सुखदेव सिंह, प्रकट सिंह, उमेश कुमार द्वारा दिये गये ब्यानों से होती है। तहसीलदार सूरतगढ की अनुशंसा की जाकर जिला कलैक्टर द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान करने की अनुशंसा की गई जिसके पश्चात् तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 21.11.2016 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। यदि किसी शर्त का उल्लघंन किया होता तो खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं होते। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् आवंटन नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। आवंटन हुए 50–55 वर्ष हो चुके हैं। इतने पुराने आवंटन को महज झूठी शिकायत के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। इस संबंध में वकील प्रार्थी ने ए. आई. आर. 1994 पेज 1128, आर आर डी 2018 पेज 750, 479 की नजीरों का हवाला देकर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

5. प्रकरण का अवलोकन किया जिससे पाया कि पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति उपलब्ध है । प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों का हवाला देते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता ने राजकीय सेवा में होते हुए विवादित भूमि का आवंटन करवाया है। अप्रार्थीगण के पिता ने स्वच्छ हाथों से आवंटन नहीं करवाया था। अतः आवंटन खारिज किये जाने योग्य है एवं प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिसके आधार पर यह माना जा सके कि बरवक्त आवंटन अप्रार्थीगण का पिता राजकीय सेवा में था एवं दौराने सेवा आवंटन करवाया हो। आवंटन के पश्चात् दिनांक 18.11.2016 को तहसीलदार सूरतगढ़ ने विवादित भूमि पर राजस्थान भू–राजस्व (कृषि परियोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 परन्तुक (ii) के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने से पूर्व जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर ने दिनांक 03.11.2016 को डी. एल. सी. की दर की 10 प्रतिशत राशि पहले जमा करवाने के आदेश दिये गये एवं जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर के आदेशानुसार ही सभी जांच के उपरान्त ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में आर आर डी 2018 पेज 479 एवं 750 की नजीरें पेश की और निवेदन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए शिकायत प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे।

8. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

9. प्रार्थी द्वारा अपने शिकायत प्रार्थना पत्र में मुख्य आधार यह लिया है कि बरवक्त आवंटन अप्रार्थीगण का पिता भागुराम रेलवे में सेवारत था एवं उसके द्वारा तथ्यों को छुपाकर आवंटन कराया है, किन्तु प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि अप्रार्थीगण का पिता रेलवे में किस पद पर एवं किस स्थान पर एवं किस दिनांक से कार्यरत था। प्रार्थी का यह दायित्व था कि वह अपनी शिकायत को, शिकायत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को साक्ष्य से साबित करवाता, किन्तु उसके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो की अप्रार्थीगण का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)



Scanned by CamScanner

पिता बरवक्त आवंटन राजकीय सेवा में था। इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक जि.रा.ले./खातेदारी / 2016/3055 दिनांक 03.11.2016 से तहसीलदार सूरतगढ़ को उक्त बिन्दु संख्या 1 से 4 की शर्तो अनुसार खातेदारी अधिकार दिये जाने के आदेश दिये हैं जिसके क्रम में ही तहसीलदार सूरतगढ़ ने दिनांक 18.11.16 को अप्रार्थीगण के पिता को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् इतने पुराने आवंटन को महज बिना किसी आधार के एवं निराधार शिकायत प्रार्थना पत्र पर आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है एवं इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 11.11.2021 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अतिरिक्त कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner